संख्या-35/2018/459/26-3-2018

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांकः 05 मार्च 2018

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-80 की योजनान्तर्गत निष्प्रयोज्य किये गये विभागीय वाहन संख्या-यू0पी0-32 ए0एच0 500 के स्थान पर नये वाहन के क्रय हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-1549 /स0क0/नजारत/वाहन/2017-18 दिनांक-05.02.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गयी आख्या/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-''2225-01-001-03-14-मोटर गाडियों के क्रय के मानक मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष नवीन वाहन का क्रय किये जाने हेतु धनराशि रू0-682420/- की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैः-

(1)- उपर्युक्त धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराये जायेगें।

(2)- उक्त धनराशि का व्यय योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय अन्य किसी मद में कदापि नहीं किया जायेगा।

(3)- स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/बैंक खाता/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2018 तक व्यय हो सके।

(4)-वाहन का क्रय वर्तमान में लागू लागू DGS&D के GEM Portal द्वारा निर्धारित दरों पर किया जायेगा एवं लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1/2015/403/18-2-15-125(ल0उ0)/2014 दिनांक-22.05.2015 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-मुख्यालय अधिष्ठान-14-मोटर गाड़ियों का क्रय के नामें डाला जायेगा।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03.08.2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

रवि शंकर मिश्र

अनुसचिव।

संख्या-35/2018/459(1)/26-3-2018 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 उ0प्र0 शासन।
4- राज्य योजना आयोग अनु0-1/2, उ0प्र0 शासन।
5- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
6- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।